Title: Regarding shifting of industrial units in Delhi.

RE: SHIFTING OF INDUSTRIAL UNITS IN DELHI

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, पिछले 5-6 दिनों से दिल्ली के अन्दर जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल आये हैं, उसका कारण सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। उस आदेश के अनुसार केवल जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन्हीं के ऊपर सरकार कार्रवाई करे, उनको दिल्ली से बाहर करे। लेकिन दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी और दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने यह कह दिया कि सारी की सारी 1,26,000 इंडस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर कर दिया जाये। उसके कारण दिल्ली में आज हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी घरों के अन्दर चलने वाली छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज की संख्या लगभग एक लाख है।

लघु और कुटीर उद्योग चल रहे हैं, जिनमें चार-छः लोग काम करते हैं, उनके पूरे के पूरे घर को सील कर दिया। सारा सामान अंदर पड़ा हुआ है, लोगों को बाहर कर दिया है। उससे गुस्सा होकर दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मास्टर प्लान को चेंज किया जाए। 1961 में यह प्लान बना था। उस समय दिल्ली के अंदर केवल 28 उद्योग बताए गए थे और दिल्ली की आबादी 30 लाख थी। आज करीब डेढ़ लाख उद्योग हो गए हैं और डेढ़ करोड़ के करीब आबादी हो गई है। उसके बावजूद एक भी इंडस्ट्रीयल एरिया दिल्ली में नहीं बना। जब मैं दिल्ली का मुख्य मंत्री था और जब साहिब सिंह जी भी मुख्य मंत्री थे, हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम मास्टर प्लान को चेंज करेंगे। इसका कारण यह है कि दिल्ली की जो तीन मुख्य समस्याएं हैं, एक अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना, दूसरा उद्योग और तीसरी समस्या यह है कि जो चार लाख दुकानें रिहाइशी एरिया में हैं, उनको नियमित करना, जब तक मास्टर प्लान में चेंज नहीं होगा, इनको हम ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि शहरी विकास मंत्री जी यहां आकर मास्टर प्लान चेंज करने के बारे में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं किसी को क्रिटीसाइज नहीं कर रहा हूं। कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि दिल्ली में जो मजदूर हैं, उन्होंने गुंडागर्दी फैलाई, उनमें गुंडे हैं और इस विाय को कर्नाटक के इश्यू के साथ जोड़ा गया, मैं समझता हूं यह दिल्ली के गरीब मजदूरों के साथ अन्याय है। एक वकील ने कहा कि वे यहां रोजी-रोटी के लिए आए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें रोजी-रोटी से ज्यादा चिंता लोगों के स्वास्थ्य की है। हम भी चाहते हैं कि प्रदूाित उद्योग यहां से बाहर जाएं, लेकिन जो उद्योग प्रदूाण नहीं फैलाते, जिनमें लगभग 15 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, उनको बेरोजगार कर देना, उनकी रोजी-रोटी छीनना, यह हम नहीं होने देंगे। इसलिए मास्टर प्लान को चेंज करके यहां से प्रदूाित उद्योगों को बाहर ले जाएं, लेकिन बाकी उद्योगों को किस तरह से दिल्ली में बसाया जाए, इसके बारे में शहरी विकास मंत्री जी यहां वक्तव्य दें।

MR. SPEAKER: Shri Satyavrat Chaturvedi, Shri Lakshman Seth and Shri Vijay Goel have also given notices to associate themselves with this.

SHRI KAMAL NATH (CHHINDWARA): Sir, I also want to speak on this.

MR. SPEAKER: I think your notice is not there.

SHRI VIJAY GOEL (CHANDNI CHOWK): I want one minute, Sir.

MR. SPEAKER: There is no time. Please understand. There are 38 notices.

...(*Interruptions*)

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, असम के इश्यू पर चार लोग बोल सकते हैं, तो इस पर क्यों नहीं बोल सकते।

MR. SPEAKER: All right, only one minute please.

श्री विजय गोयल : दिल्ली के विाय पर हम नहीं बोलेंगे तो जनता क्या कहेगी।

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी ने कह दिया है।

श्री विजय गोयल : मेरा मत उनसे भिन्न है। इसलिए मुझे एक मिनट का मौका दे दें। पिछले दिनों दिल्ली में जो तांडव हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की है, दिल्ली सरकार की है या केन्द्र सरकार की हैâ€¦(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया दिल्ली सरकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहां की इंडस्ट्रीज बाहर जाने के लिए, रीलोकेट होने के लिए तैयार थीं, लेकिन उनको जगह नहीं दी गई। इसमें लघु उद्योगों का क्या कसूर है। दूसरा, मेरा यह कहना है कि पहले भ्रट नौकरशाही इस सारी चीज को पनपने देती है, सारा कुछ हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आर्डर देता है।नौकरशाही जो सुस्त है, विल पावर नहीं है, उसको रातों-रात जगाया जाता है। इसलिए तुरंत मास्टर प्लान में तब्दीली करके, रीलोकेट करके लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। इस पर प्रमोद महाजन जी को कुछ कहना चाहिए।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, बहुत ही गंभीर तथा तनावपूर्ण है। काफी दिनों से यह मामला 1996 से चल रहा था, यह आपको विदित ही है। 19 अप्रैल 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि जो इंडस्ट्रीज नॉन-कनफर्मिंग एरियाज में हैं, उनकी पुनर्स्थापना दूसरे स्थानों पर हो, यह उनका ऑर्डर था। इस ऑर्डर के पालन में कोई प्ली देनी हो या कोई भी एप्लीकेशन देनी हो या अगर कोई सुझाव देना हो तो दिल्ली सरकार द्वारा 1996 से लेकर 1998 तक न तो कोई लैंड आइडेंटिफाई की गई और न वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया तथा न सुप्रीम कोर्ट से कोई टाइम मांगा गया। 1996 से लेकर 1998 तक दिल्ली सरकार द्वारा बिल्कुल शिथिलता बरती गई। नवम्बर 1998 में जब नयी सरकार बनी तो उन्होंने तीन-चार महीने के अंदर ही दुबारा सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर की कि हम चाहते हैं कि मास्टर प्लान में चेंज हो और जहां 70 प्रतिशत इंडस्ट्रीज स्थापित हों, उनको नॉन-कनफर्मिंग एरियाज से कनफर्मिंग एरियाज में किया जाये। सिर्फ ऐसी इंडस्ट्रीज का फिर से री-लोकेशन किया जाये जो हैज़ारडुअस हों या जो पर्यावरण को दूाित करती हों। यह प्ली 1999 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में काफी कुछ विचार-विमर्श किया और उसके बाद मास्टर प्लान में चेंजेज के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दी। उसके बाद हमने दिल्ली कॉरपोरेशन से यह रिक्वेस्ट की कि लैंड रूल्स में भी चेंज हो, यह बात हमने अक्तूबर 1999 में रखी। इस बात को एक साल बीत गया और एक साल बाद सिर्फ एमसीडी तय करती है कि लैंड रूल्स चेंज हो या नहीं हो, उसके लिए एक साल लग गया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किस पोलिटिकल पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार में है या एमसीडी में है, मैं इस बात को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता।â€¦(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : आप जो बात कह रहे हैं, वह गलत है।â€¦(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : जो खुराना जी ने बात कही है, मैं उससे पूर्ण तरह से सहमत हूं। जो दिल्ली गवर्नमेंट की प्ली रही है कि मास्टर प्लान में जल्दी से जल्दी परिवर्तन लाया जाये जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी एक हद तक काफी कुछ तैयार था। मैं पूर्ण तरह से खुराना जी से सहमत हूं तथा सरकार से कहना चाहता हूं कि अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्टर इस बात का जवाब दें कि उन्होंने सुओ-मोट्टो सुप्रीम कोर्ट में यह प्ली क्यों दायर की कि हम मास्टर पालन में चेंज करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। इस बात का यहां अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्टर जवाब दें। मैं खुराना जी की बात का पूर्ण तरह से समर्थन करता हूं। यहां अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्टर साहब जवाब दें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह बात क्यों की तथा बिना सलाह-मशविरा के सुओ-मोट्टो क्यों किया? That he is not prepared to make any changes in the Delhi Master Plan when the Supreme Court was ready to consider changes in the Delhi Master Plan to give permission for more time for changes in the Delhi Master Plan. Why did the Ministry of Urban Development write this letter? I would like to know that. I, therefore, support what Shri Madan Lal Khurana has said.

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है।â€¦(व्यवधान)

सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन्हीं इंडस्ट्रीज को हटाने की बात कही है,â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: The Government is replying.

...(*Interruptions*)

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : I want that there should be a Calling Attention on this. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: This is a very unfortunate thing. I cannot understand the system that you are following. You are raising the issue and then making the noise. What is this?

...(*Interruptions*)

SHRI KAMAL NATH (CHHINDWARA): Sir, I have moved a Calling Attention on this. Can you tell me what is the fate of my Calling Attention? ...(*Interruptions*) The Minister of Parliamentary Affairs is sitting here. He must say something on this. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are not even allowing the Minister to speak.

...(*Interruptions*)

SHRI LAKSHMAN SETH (TAMLUK): Sir, I have given a notice on this. ...(*Interruptions*)

** Not recorded*

MR. SPEAKER: I have called the Minister. You can also associate yourself with the other hon. Members. Please understand that I cannot accommodate all the Members.

...(*Interruptions*)

SHRI LAKSHMAN SETH: Sir, please allow me for a minute. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Let the hon. Minister speak.

SHRI LAKSHMAN SETH : Sir, allow me for just for a minute.

MR. SPEAKER: I will allow you for one minute. Please see the time also.

SHRI LAKSHMAN SETH: Thank you. Sir, this matter is very much drawing the attention of all people. I request the hon. Prime Minister, through you, to take a decision. ...(*Interruptions*) Two million workers are engaged in these small industries. By closing down the industries, two million workers will lose their jobs. How will their interests be protected? This aspect has to be cleared. The hon. Supreme Court gave a verdict. Why is it that the Government of India and the Government of Delhi did not take any action with regard to the Master Plan and for shifting these polluting industries? I am very much concerned about the bread and butter of the two million workers.

MR. SPEAKER: Please conclude now. The hon. Minister has to reply.

SHRI LAKSHMAN SETH : Sir, I want an assurance from the Government regarding the re-employment of these two million workers who will be displaced or retrenched. They will be out of employment and jobless because of shifting of these small industries from the non-conforming areas of Delhi. ...(*Interruptions*)

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, हमें भी इस विाय पर दो मिनट बोलने के लिए दिए जाएं।â€¦ (व्यवधान) मेरी कांस्टीट्यूएंसी 40 लाख की आबादी वाली है।â€¦ (व्यवधान) वहां कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुत तबाही हुई है। उन्होंने उसका गलत अर्थ लगा वहां जो फैक्ट्रियां प्रदूाण नहीं फैलाती हैं उन्हें भी सील कर दिया है। â€¦ (व्यवधान) यह सब कार्य मुख्य मंत्री जी के कारण से हुआ है।â€¦ (व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

MR. SPEAKER: I have called your name also.

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले को बहुत सरलता से लिया जा रहा है। मास्टर प्लान बहुत सोच-समझ कर बना था और 1967-68 में जब दिल्ली के विकास के बारे में चर्चा हुई थी, उस समय केपिटल रीज़न की चर्चा हुई थी और कहा गया था कि दिल्ली में नये आवास और नयी फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बाद लगातार उसका उल्लंघन होता रहा है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि सारी दिल्ली स्लम होती जा रही है। यहां के दिल्ली के निवासी और मदन लाल खुराना जी भी जानते हैं कि रोज 10,000 लोग दिल्ली में बाहर से आते हैं और इन्हीं झुग्गी-झोंपड़ियों तथा बस्तियों में जाकर बसते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहां कुछ पर्यावरण के बारे में ध्यान देना चाहिए और जगमोहन जी उस दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं तो जितना कम से कम अन्याय हो सके या दुख उठाना पड़े, उसे उठाने की कोशिश हो। अगर हम लोग एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश करें तो यह सही नहीं है। सही बात यह है कि उनके लिए नयी जगह ढूंढनी चाहिए और नयी जगह ढूंढ कर उन्हें वहां से हटाना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जगमोहन जी की निन्दा करना एक राजनीतिक तात्कालिक फायदे की भावना से हो सकता है, दूरगामी परिणाम देश और राजधानी के लिए नहीं हो सकते।

महोदय, मैं जानता हूं जब 1967-68 में यह तय हुआ था, उस समय दुर्भाग्य या सौभाग्यवश मैं भी उसमें मौजूद था। यह किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं था बल्कि दिल्ली के भविय को ध्यान में रख कर किया गया था।â€¦ (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता में दो दिन से असंतोा व्याप्त है, जिसके कारणों की चर्चा खुराना जी ने आज यहां उठाई है और चन्द्रशेखर जी तथा सभी सदस्यों ने इसमें योगदान किया है। इस संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी तो कोई व्यापक चर्चा होगी तभी पता चल सकता है। इस संदर्भ में सदन में सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्री वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं।

â€¦ (व्यवधान)

SHRI KAMAL NATH : Sir, why not he accept a Calling Attention motion?

MR. SPEAKER: That is the duty of the Speaker and not the Minister regarding admission of Calling Attention motions.

â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं।â€¦ (व्यवधान)

1300 hrs.

उन्होंने वहां वक्तव्य दिया और उनके वक्तव्य देने के बाद राज्य सभा ने वक्तव्य पर स्पटीकरण की जगह ढाई घंटे की अल्पकालिक चर्चा करना मान लिया है और चर्चा शुरु की है। अगर लोक सभा में वक्तव्य के स्थान पर किसी भी नियम के अन्तर्गत, जिसकी अध्यक्ष जी अनुमति दें, इस विाय पर चर्चा करनी हो तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। कालिंग अटेंशन करें या जैसा आप उचित समझें करें, इसमें सरकार की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं है। उसके बाद सदन की ओर से जो भी भावना बनेगी, उसके अनुसार हम दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

जहां तक मास्टर प्लॉन को अमेंड करने का सवाल है, सरकार इसमें कोई कठोर भूमिका लेकर नहीं खड़ी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लचीली भूमिका लेकर मास्टर प्लॉन को अमेंड करने के लिए भी तैयार हैं। सरकार उच्चतम न्यायालय के पास जाकर समय मांगने के लिए भी तैयार है। इसलिए जब इस सदन में चर्चा होगी, अभी दूसरे सदन में हो रही है तो दोनों सदनों का मिलकर जो मानस बनेगा, उसी के आधार पर केन्द्र सरकार दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करेगी।

....